महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी अंतर्गत राजर्षी छत्रपती शाहु महाराज कृषि महाविद्यालय, कोल्हापूर येथे अतिथीगृह इमारत बांधकामास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत.

महाराष्ट्र शासन कृषि,पशुसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: कृषिवि-१४२४/प्र.क्र.१८०/७-अे, मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय विस्तार,मुंबई - ४०००३२. दिनांक:२६/०९/२०२४.

- **संदर्भ**: १) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम(भाग-२), दि.१७.०४.२०१५.
 - २) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र.कृषिवि-२०११/प्र.क्र.६९/८-ओ, दि.०८.०८.२०१४.
 - ३) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम (भाग-२), दि.२०.०९.२०१९.
 - ४) संचालक,महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद,पुणे यांचे जा.क्र.मकृप/ वि.शि.२/२५१९/२०२४,दि.०९.०८.२०२४ रोजीचे पत्र.

प्रस्तावना :-

कृषि महाविद्यालय,कोल्हापूर या महाविद्यालयाची स्थापना सन १९६३ मध्ये झाली आहे. सदरचे महाविद्यालय पूर्वी शिवाजी विद्यापीठ,कोल्हापूर यांचे अधिनस्त होते. तद्नंतर सन १९६८ मध्ये महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ,राहुरी या विद्यापीठाची स्थापना झाल्यानंतर सदरचे महाविद्यालय सन १९६९ मध्ये राहुरी कृषि विद्यापीठाच्या कार्यक्षेत्रात हस्तांतरीत करण्यात आले. महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी अंतर्गत राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज कृषि महाविद्यालय, कोल्हापूर या महाविद्यालयाकडे आजतायागत स्वतंत्र अतिथीगृह इमारत नसल्याने, महाविद्यालयास भेट देणाऱ्या महत्त्वाच्या व अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या राहण्याच्या सोयीकरीता तसेच, महाविद्यालयास भेट देणारे अधिकारी, शास्त्रज्ञ, शेतकरी यांच्या राहण्याच्या व्यवस्थेकरिता महाविद्यालयाअंतर्गत अतिथीगृहाची नवीन इमारत बांधणे आवश्यक असल्याने अतिथीगृहाच्या नवीन इमारत बांधणे सिषदेने मान्यता प्रदान केली आहे.

राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज कृषि महाविद्यालय,कोल्हापूर येथे नवीन अतिथीगृह इमारत बांधकामाची निकड विचारात घेता, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषदेच्या ११७ व्या बैठकीत मान्यता देण्याच्या अधीन राहून सदर प्रस्तावास कृषि परिषदेने मान्यता प्रदान केली आहे. त्यासअनुसरुन संदर्भ क्र.४ येथील पत्रान्वये महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे यांनी शासनास प्रस्ताव सादर केला आहे.

राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज कृषि महाविद्यालय,कोल्हापूर येथे नवीन अतिथीगृह इमारत बांधकामाच्या अंदाजपत्रकीय प्रस्तावास मुख्य अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांनी तांत्रिक मान्यता प्रदान केली आहे. त्यानुषंगाने महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी अंतर्गत राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज कृषि महाविद्यालय,कोल्हापूर येथे नवीन अतिथीगृह इमारत बांधकामाच्या अंदाजपत्रकीय प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय:-

महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ,राहुरी अंतर्गत, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज कृषि महाविद्यालय,कोल्हापूर येथे नवीन अतिथीगृह इमारत बांधकामाच्या एकूण रुपये ९९३.७३ लाख (अक्षरी रुपये नक्ज कोटी, त्र्याण्णव लाख, त्र्याहत्तर हजार फक्त) इतक्या रक्कमेच्या अंदाजपत्रकास, खालील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. (सविस्तर तपशील यासोबतच्या परिशिष्ट-अ मध्ये नमूद करण्यात आला आहे.)

२. अटी व शर्ती-

- 9. काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाशा तसेच, विस्तृत नकाशास वास्तुविशारदांकडून मंजूरी घेऊनच काम सुरु करावे.
- २. ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतुदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत नकाशास अंदाजपत्रक करुनच काम हाती घ्यावे.
- ३. नियोजित जागा उपभोक्ता विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुन सदर कामाच्या निविदा सूचना प्रसिद्ध करण्यात याव्यात.
- ४. काम सुरु करण्यापूर्वी सर्व संबंधित स्थानिक संस्था/प्राधिकरणे यांची मान्यता घेण्यात यावी.
- ५. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय,क्र.बीडीजी २०१७/प्र.क्र.६०/ईमा-२, दि.०७.०७.२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी.
- ६. प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग शासन निर्णय दि.१०.०१.२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार कार्यवाही करण्यात यावी.
- ७. प्रस्तावित इमारतींचे जोते क्षेत्रफळ कर्मचारीवर्ग व शासकीय इमारती यांच्या अनुज्ञेय मानकाप्रमाणे असल्याची खातरजमा करण्यात यावी.
- ८.अंदाजपत्रकीय कामात बदल होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. तसेच, सदर कामाकरीता सुधारित प्रशासकीय मान्यतेची आवश्यकता लागणार नाही, या दृष्टीने विशेष दक्षता घ्यावी.
- ९. प्रस्तावातील खरेदीशी संबंधीत बाबींकरीता उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभागाचा शासन निर्णय भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥।/उद्योग-४, दि.०१/१२/२०१६ व वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयातील कार्यपध्दती व अटींचे पालन करावे.
- **३.** याप्रित्यर्थ होणारा खर्च "मागणी क्रमांक डी-३, २४१५ कृषि विषयक शिक्षण व संशोधन, ०१, पीकसंवर्धन,१२० इतर संस्थांना सहाय्य, (००) (०६) महात्मा फुले कृषि विद्यापीठाला सहायक अनुदान (कार्यक्रम) (२४१५ ००७२) ३५,भांडवली मत्तेच्या निर्मितीकरीता अनुदान" या लेखाशीर्षाखाली अर्थसंकल्पीत केलेल्या तरतूदीमधून भागविण्यात यावा.

- 8. सदर आदेश, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनिमय, भाग-२, दि.२०.०९.२०१९ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८ चा भाग-पिहला, उपविभाग-पाच, अ.क्र.१, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम विभाग नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्र.१३४ (१) नुसार, प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.
- ५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२४०९२६१८४७५०५४०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

(प्रतिभा पाटील) उप सचिव,महाराष्ट्र शासन

प्रत,

- १.) मा.मंत्री (कृषि), कृषि व पदुम विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई.
- २. महासंचालक,महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद,पुणे.
- ३. कुलगुरु, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी.
- ४. कुलसचिव, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी.
- ५. वित्तीय सल्लागार, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे.
- ६. विद्यापीठ अभियंता, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी.
- ७. महालेखापाल, महाराष्ट्र १ / २ (लेखापरीक्षा), मुंबई / नागपूर.
- ८. महालेखापाल, महाराष्ट्र १ / २ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर.
- ९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, राहुरी /उपकोषागार अधिकारी, राहुरी, जि.अहमदनगर.
- १०. सहायक लेखाधिकारी, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी.
- ११. मुख्य लेखापरिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई.
- १२. उप मुख्य लेखापरिक्षक (वरिष्ट) स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई.
- १३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई.
- १४. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई.
- १५. कार्यासन ७-अे (निवडनस्ती).

कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र : कोकृवि-११२४/प्र.क्र.१८०/७-अ, दि.२६/०९/२०२४ सोबतचे परिशिष्ट परिशिष्ट - अ

Name of the Department : Agricultural Department

NAME OF WORK: BLOCK ESTIMATE FOR CONSTRUCTION OF GUEST HOUSE BUILDING AT RCSM COLLEGE OF AGRICULTURE, KOLHAPUR

RECAPITULATION SHEET

| RECAPITULATION SHEET | | | | | | | |
|----------------------|---|---------|---------|--|--------|--------------------|------------|
| Sr. | Particulars of Scope | | | Unit Rate Per (Sqmt/Meter/Lumsum etc.) | | Cost Rs. | |
| No. | | | | | | Compound Wise | Total |
| A) | Essential, Items (Component) | | | | | | |
| 1 | Building Proper (Built up area - Sq.m) | | | | | | |
| | Ground floor | 743.4 | | 29029 | /Sqm | 21580158.6 | 21580158.6 |
| | First floor | 543.6 | | 26086 | /Sqm | 14180349.6 | 14180349.6 |
| | Second floor | 543.6 | | 26086 | /Sqm | 14180349.6 | 14180349.6 |
| | Total Built Up Area = | 1830.6 | /Sqm | | | Sub Total (a) | 49940858 |
| | a) Rain/Roof Water harvesting. | | | | | | 500000 |
| | b) Solar Roof Top (MoU to be executed) | | | | | Lumpsum | 1500000 |
| | c) Furniture (Rs. 5000/- Sqm) (70% area of 1830.60) | | 1281.42 | 5000 | /Sqm | | 6407100 |
| | Sub Total (1+a+b+c) | | | | • | Sub Total (1) | 58347958 |
| 2 | Water Supply and Sanitary Works. 5% of (a) | | | | | Sub Total (2) | 2497043 |
| 3 | Electrification | | | | | | |
| | a) Internal Electrification 5% on (a) | | | | | | 2497043 |
| | b) External Electrification 6% on (a) | | | | | | 2996451 |
| | c) Fire Fighting | Lumpsum | | | | | 1500000 |
| | , , | • | | | | Sub Total (3) | 6993494 |
| | | | | | Sub | Total (A) { 1+2+3} | 67838495 |
| В | Miscellaneous Items. | | | | | | |
| | (i) RCC Brickwall for Compound wall and Gate (300Rmt) Lumpsum | 300 | /Rmt | 15000 | | /Rmt | 4500000 |
| | (ii) Parking | Lumsum | | | | | 500000 |
| | (iii) Soil investigations and details land survey | Lumsum | | | | | 15000 |
| | (iv) Landscaping | Lumsum | | | | | 1000000 |
| | | | | | | Sub Total (B) | 6015000 |
| C | Optional Items | | | | | | |
| | a) Underground water tank for Domestic Storage and Fire Fightening System | | | | Lumsum | | 300000 |
| | | | | | | Sub Total (C) | 300000 |
| | Project Cost $(P) = A+B+C$ | | | | | | 74153495 |
| | Provisions | | | | | | |
| | i) Contegencies 4% on (P) | | | | | | 2966140 |
| | ii) Consultancy Charges 1.50% on (a) | | | | | | 749113 |
| | iii) GST 18.00% on (P) | | | | | | 13347629 |
| | iv) Price escalation 10% on (P) | | - | | | | 7415350 |
| | v) Labour insurance 1% on (Sub total P) | | - | | | | 741535 |
| | | | | | | Sub Total (D) | 25219767 |
| | Total Project Cost A+B+C+D | | | | | | 99373262 |
| | | | | | | Say Rs.Crores | 9.94 |
| | | | | | | Say Rs.Lakh | 993.73 |

(प्रतिभा पाटील) उप सचिव, महाराष्ट्र शासन